कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 4

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		579.50	87.52	667.02	629.50	64.52	694.02	773.50	86.52	860.02
पूंजी		*0.50*	*0.11*	*0.61*	*0.50*	*0.11*	*0.61*	*0.50*	*1.11*	*1.61*
जोड़		**580.00**	**87.63**	**667.63**	**630.00**	**64.63**	**694.63**	**774.00**	**87.63**	**861.63**
1. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना	2851	152.10	...	152.10	152.10	...	152.10	200.25	...	200.25
खादी तथा ग्रामोद्योग										
2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
2.01 खादी उद्योग	2851	86.35	55.40	141.75	86.35	55.40	141.75	86.35	55.40	141.75
2.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	53.60	1.00	54.60	38.60	1.00	39.60	31.55	1.00	32.55
	जोड़	*139.95*	*56.40*	*196.35*	*124.95*	*56.40*	*181.35*	*117.90*	*56.40*	*174.30*
3. नारियल जटा उद्योग	2851	15.20	2.76	17.96	13.25	2.76	16.01	15.20	2.76	17.96
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	6851	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
	जोड़	*16.20*	*2.86*	*19.06*	*14.25*	*2.86*	*17.11*	*16.20*	*2.86*	*19.06*
4. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
4.01 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खादी उद्योग)	2851	17.10	23.00	40.10	17.10	3.00	20.10	17.10	22.00	39.10
4.02 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (अन्य ग्रामोद्योग)	2851	4.50	5.36	9.86	4.50	2.36	6.86	4.50	5.36	9.86
	जोड़	*21.60*	*28.36*	*49.96*	*21.60*	*5.36*	*26.96*	*21.60*	*27.36*	*48.96*
5. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	191.25	...	191.25	253.80	...	253.80	248.00	...	248.00
6. राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम	2851	0.90	...	0.90	0.30	...	0.30	0.45	...	0.45
7. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आयोजना-भिन्न ऋण	6851	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	1.01	1.01
ग्रामीण और लघु उद्योग										
8. परंपरागत उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु निधियाँ	2851	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	57.50	...	57.50	62.50	...	62.50	69.10	...	69.10
	4552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*58.00*	*...*	*58.00*	*63.00*	*...*	*63.00*	*69.60*	*...*	*69.60*
कुल जोड़		**580.00**	**87.63**	**667.63**	**630.00**	**64.63**	**694.63**	**774.00**	**87.63**	**861.63**

ग आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	522.00	...	522.00	567.00	...	567.00	704.40	...	704.40
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	58.00	...	58.00	63.00	...	63.00	69.60	...	69.60
जोड़		**580.00**	**...**	**580.00**	**630.00**	**...**	**630.00**	**774.00**	**...**	**774.00**

1. **प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई):** शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य योग्य युवाओं को उद्योग, सेवा और कारोबार क्षेत्र में स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने में सहायता देना है।

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने में वित्तीय और अन्य उद्यम विकास सहायता प्रदान करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार सृजन की एक मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में उभर कर आई है।

2. **खादी और ग्रामोद्योग आयोगः** खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत आयोग की स्थापना ग्रामीण जनता के लिए अधिक रोजगार सृजन करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को त्यौहार के मौसम के दौरान पोली वस्त्र सहित खादी और खादी उत्पादों पर छूट प्रदान करने के लिए, परिसरों की खरीद/किराए पर लेने, विज्ञापन और प्रचार, नए डिजाइन आदि लागू करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

3. **नारियल जटा उद्योगः** इसके अन्तर्गत नारियल जटा उत्पादों के निर्यात संवर्धन सहित देश में नारियल जटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी व उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदानों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में नारियल जटा उद्योगों के सहकारीकरण करने की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, छूट और मॉडल नारियल जटा ग्रामों और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए योजना हेतु निधियां भी शामिल है।

Website: http://indiabudget.nic.in

4. **ब्याज संबंधी सब्सिडी**

आयोग को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी उद्योग एवं अन्य ग्रामोद्योग के लिए प्राप्त किए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

5. **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम -** इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

6. **ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम :** यह प्रत्येक वर्ष देश में 100 ग्रामीण औद्योगिक समूह स्थापित करने की व्यवस्था करता है ताकि यह गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके और ग्रामीण कारीगरों के शहरों/नगरों में प्रवास को धीमा किया जा सके। समूह के विकास की कुछ कमियों को पूरा करने करने के लिए 5.00 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को आयोजना-भिन्न ऋणः इसमें खादी एंव ग्रामोद्योग आयोग को ऋण के लिए प्रावधान है।

8. यह प्रावधान परंपरागत उद्योगों तथा नारियल जटा, हथकरघा, पावरलूम, वस्त्र, रबर, काजू, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, रेशमपालन, ऊन कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए है।

9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओ/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधानः** इसमें सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु एकमुश्त प्रावधान किया गया है।